



KANNAUJ POLICE



जनपद कन्नौज

दिनांक: 24 मार्च 2026

थाना गुरसहायगंज में मु0अ0सं0-179/19 में अन्तर्गत धारा- 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में माननीय न्याया0 द्वारा अभियुक्त को में दोषी पाते हुये न्यायालय में अभियुक्त को धारा-363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में कठोर आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबन्ध में-

सादर अवगत कराना है कि अभियुक्त मो0 एहसान द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना व उसके साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में थाना गुरसहायगंज पर मु0अ0सं0-179/19 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 24.03.26 को मा0 न्यायालय पॉक्सो एक्ट कन्नौज द्वारा अभियुक्त मो0 एहसान पुत्र यारु नि0 मो0 लोहिया नगर वार्ड सं0 -12 ग्राम समधन थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज को कठोर आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास) व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया ।

